

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

श्रीमान उप वन संरक्षक,
सवाई माधोपुर,
राजस्थान।

विषय :- Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department
Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon
(0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan.
(FP/RJ/ROAD/35614/2018)

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक
03-06-2020 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक:- एफ ()
एफसीए/उवसं/2022-23/ दिनांक:- 10.02.2023।

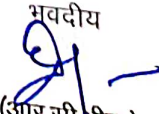
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में
सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 को जारी की गई थी जिसकी पालना
कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :-FP/RJ/ROAD/35614/2018

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक

	में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,99,482/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 10.02.2023 को जमा करवा दिए गए हैं। प्रतिलिपी संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,91,556/- रुपये दिनांक 10.02.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
12.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
13.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

 (आर.सी.भीना)
 अधिष्ठाता अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड 1, सा.माधोपुर
 सा.नि.वि. खण्ड 1, सा.माधोपुर
 दिनांक 10.02.2023

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA शपथ-पत्र JUDICIAL

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department
राजस्थान RAJASTHAN Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750

BR 332897

km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

मैं आर.सी. मीना शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि—

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर का अंटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की विना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
11. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)

अधिराषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड-1। स.माधोपुर

अधिराषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड-2। स.माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

दिनांक :- 10.08.2023

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018
Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018/1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/-35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.सीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड-अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

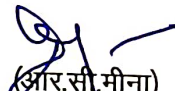
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय


(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

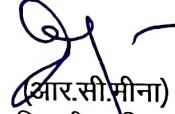
Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड- II सवाई माधोपुर
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

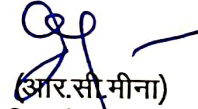
Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(आर.सी.मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

दिनांक :- 10.08.2023

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/ 35614/2018
Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(अ.स.सी.मीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

(अ.सी.मीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

दिनांक :- 10.08.2023

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018 / 1117-20

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(आर.सी.मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/35614/2018/1117-20

दिनांक :- 10.08.2023

Project Name: - Diversion of 0.20 ha. of forest land in favour Public Works Department Rajasthan Jaipur for Renewal of Road from Chouth ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km.), District- Sawai Madhopur, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/35614/2018)

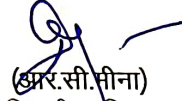
Proposal No: - FP/RJ/ROAD/35614/2018

Applied Area: -0.20 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (19) वन/2020 दिनांक 03-06-2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(अ.सी.सी.पी.ना)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर

FORM-1
(For Liner Projects)
Government of Rajasthan
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SAWAI MADHOPUR

No. 931

Date 16/8/19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) date 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on Submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ("FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.20 Hect. of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D for Road form Renewal of Road from Chouth Ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km) District – Sawai Madhopur within the Jurisdiction of 1 Village in Tehsil Chauth Ka Barwara.

It is further certified that :-

- A. It is certified that the complete process for diversion and settlement of Rights under the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 carried out for the entire forest area 0.20 Hect. (RF area 0.20 Hect.) proposed for diversion of Road form Renewal of Road from Chouth Ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km) District – Sawai Madhopur in the State of Rajasthan.
- B. No such primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities dwell on the forest Land proposed for diversion and whose Forest Rights are required to be safeguarded as per section 3(1)(e) of the Forest Rights Act, 2006.
- C. No such facilities managed by Government required diversion of forest land u/s 3(2) of the Forest Rights Act, 2006 have been proposed over the forest land proposed for diversion.

No. 831

Copy Forwarded to :- Executive Engineer PWD Dn. II Sawai Madhopur connection of their letter no. 1718..... dated ..12/7/2019. for N/A.

District Collector
Sawai Madhopur

Date 16/8/19

District Collector
Sawai Madhopur

आज दिनांक 13.08.2019 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति सवाई माधोपुर की आहूत बैठक के दौरान उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति चौथ का बरवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/अनापत्ति/बैठक कार्यवाही विवरण पत्रांको एवं संलग्न अधीनस्थ ग्राम वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के प्रस्ताव पत्र/अनापत्ति/बैठक कार्यवाही विवरण पत्रो के अनुसार सवाई माधोपुर रिनिवल ऑफ रोड फ़्रोम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 दू 4/750 के निर्माण हेतु जिला सवाई माधोपुर के वनक्षेत्र रकबा 0.20 हैक्टेयर वन भूमियों में से होकर गुजरने वाली सडक के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति चौथ का बरवाडा द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय समिति को वास्ते अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

इसमें दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को रिनिवल ऑफ रोड फ़्रोम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 दू 4/750 के निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752, 753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
		कुल रकबा		0.20 है.


उपवन संरक्षक
सवाई माधोपुर
(सदस्य)


जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
(अध्यक्ष)

आज दिनांक 18.6.2019 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सवाई माधोपुर की आहूत बैठक के दौरान क्रमशः ग्राम सभा स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संलग्न अधीनस्थ ग्राम सभा स्तरीय वनाधिकार समितियों से जारी प्रस्ताव पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 टू 4/750 के निर्माण हेतु आने वाले वाली वनक्षेत्र भूमियों पर वनाधिकार अधिनियम के तहत किन्ही पक्षकारान का कोई दावा लम्बित नही होना जाहिर आया है।

अत एवं उपरोक्त समितियों द्वारा लिये गये प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव एवं अनापत्ति पत्रों का अनुमोदन किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति को वास्ते अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। इसमें दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देश पत्र दिनांक 03.08.2009 के अनुसार अधिनियम की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नही है को रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 टू 4/750 के निर्माण को उक्त क्षेत्र से निकालने में कोई आपत्ति नही है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752,753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
कुल रकबा				0.20 है.

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा

विकास अधिकारी
पं.सं. चौथ का बरवाडा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
सवाई माधोपुर

नोट - वन अधिकार विभाग के

कार्यालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

पंचायत समिति चौथ का बरवाडा ,जिला सवाई माधोपुर (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत :- चौथ का बरवाडा, पंचायत समिति :-चौथ का बरवाडा	प्रेषिती : श्रीमान अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड-द्वितीय स.मा.
---	---

दिनांक :- 10-6-19

प्रस्ताव नकल प्रस्ताव संख्या 011

7.6.19

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित एवं प्रक्रियाधीन नहीं है तथा वनाधिकार समिति को रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागोंव किमी 0/0 टू 4/750 का निर्माण किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752, 753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
कुल रकबा				0.20 है.

सरपंच
ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा
पंचायत समिति चौथ का बरवाडा (स.मा.)